संख्या– 150 / XVIII–(2)/16–13(5)/2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 21 जून, 2016

विषय– मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, त्वरित बाढ, भूस्खलन एवं नदियों का जल स्तर बढ़ने के फलस्वरूप विशेष सतर्कता बरतने एवं पूर्व तैयारी रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य में दक्षिण–पश्चिम मानसून के कारण मानसून अवधि में होने वाली भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़, त्वरित बाढ़, बादल फटना, अतिवृष्टि एवं नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण अत्यधिक जन–धन की हानि एवं सार्वजनिक/निजी परिसम्पत्तियों की क्षति की संभावना के दृष्टिगत संभावित आपदाओं हेतु पूर्व तैयारी एवं राहत व बचाव कार्यों हेतु विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

उक्त के संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मानसून अवधि में आपदा के बेहतर प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण उपायों हेतु आपदा पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर तैयारी एवं तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1. समय–समय पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाय व उनके कार्यवृत्त शासन को उपलब्ध कराये जाय।
2. जनपदों में प्राथमिकता के अनुसार भूस्खलन, बाढ़ आदि से सम्बन्धित संवदेनशील स्थलों का चिन्हींकरण कर उक्त स्थानों के निकटतम वैकल्पिक शरण स्थलों व आपदा राहत संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे स्थानों से नियमित सूचनायें प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए।
3. मानसून अवधि में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों तथा बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों को 24X7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किया जाए व इनके लिये उपलब्ध कराये गये समस्त उपकरणों का रख–रखाव सुनिश्चित करा लिया जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आपदा प्रबन्धन प्रयोजनों हेतु निर्मित जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु न किया जाय। इस हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष नियमानुसार पर्याप्त अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित कर ली जाए।
4. वर्तमान में आपदा प्रतिक्रिया के लिये Incident Response System (IRS) लागू किया गया है। बाढ, भूस्खलन व त्वरित बाढ़ के लिए आई0आर0एस0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप यथा Planning, logistic एवं Operation विंग में सक्षम अधिकारियों को नामित कर दिया जाय एवं उसकी सूचना राज्य आपाताकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करा दी जाय। अन्य कार्मिकों को भी चिन्हित करके रखा जाय।

5. जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग से समन्वय स्थापित कर विभागीय नोडल अधिकारी नामित करा लिये जाए। नामित नोडल अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अपने विभाग से संबन्धित सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा सूचना का संकलन, विश्लेषण कार्ययोजना की तैयारी के साथ जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्रों द्वारा संकलित सूचना तत्काल राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त विभागों के नोडल अधिकारियों के नाम/पदनाम/दूरभाष (कार्यालय/आवास) तथा मोबाइल नम्बर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करा दिये जाए।

6. सेंट्रल वाटर कमीशन, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सिंचाई विभाग एवं मौसम विभाग तथा अन्य विभागों/संस्थाओं की मदद से ऐसे क्षेत्रों में नदियों के बहाव/व्यवहार की सतत जानकारी रखी जाए तथा विभिन्न स्रोतों से सूचनायें संकलित कराकर Public Address System स्थापित करते हुए ऐसे क्षेत्रों को त्वरित बाढ़ आने से पूर्व ही खाली कराकर जन–धन की सुरक्षा के समुचित उपाय सुनिश्चित किये जाएं ताकि बचाव कार्यों में अनावश्यक विलम्ब न हो।

7. बाढ़ के दृष्टिगत विशेष रूप से प्रभावित होने वाले जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर, नैनीताल तथा देहरादून में बाढ़ सुरक्षा से संबन्धित तैयारी की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर ली जाए। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हींकरण कर जनजागरूकता व खोज एवं बचाव से संबन्धित जानकारी दे दी जाए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बाढ़ व जल भराव क्षेत्रों को चिहिन्त कर लिया जाय एवं नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों व ग्राम पंचायतों से समन्व करके आगामी एक सप्ताह में नालों व अन्य ड्रेन्स की सफाई सुनिश्चित की जाय।

8. आपदा प्रबन्धन के लिये सही सूचना का सही समय पर सही माध्यम से पहुंचाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये जिलों में समस्त सूचनायें जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र में भेजी जायें एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों से ये सूचनायें राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को भेजी जायं। इसी प्रकार आपदा के समय प्रतिवादन का केन्द्र भी आपातकालीन परिचालन केन्द्रों में रखा जाय।

9. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति की विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्यो एवं प्रभावितों को राहत सहायता वितरण हेतु अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मद में धनराशि पूर्व ही जिलाधिकारियों को आवंटित की जा चुकी है/की जा रही है। अतः राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानकों के अनुसार क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण एवं प्रभावितों में राहत सहायता वितरण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

10. जिन क्षेत्रों में बाढ़ तथा त्वरित बाढ़ (Flash Floods) आने की सम्भावना हो, में खनन कार्य रोकने तथा ऐसे संभावित खतरनाक क्षेत्रों में मजदूरों इत्यादि को असुरक्षित स्थानों से आपदा आने से पूर्व ही हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाए।

11. समस्त जनपदों में मौसम विभाग द्वारा स्थापित Rain Gauge का रख रखाव एवं दैनिक वर्षा की सूचना फैक्स/ईमेल/वायरलैस द्वारा प्रतिदिन भेजी जानी सुनिश्चित की जाए।

12. जनपदों में बरसाती नालों तथा नदियों की अतिक्रमित भूमि पर निर्मित भवनों को यथा आवश्यकता अतिशीघ्र खाली करा दिया जाए तथा जनजागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार

प्रसार किया जाए। प्रत्येक ग्राम स्तर तक नदी, गदेरा, नाला तथा अन्य प्राकृतिक जल वहन क्षेत्रों में बनाये गये आवासीय व अन्य भवनों की मार्किंग सुनिश्चित करायी जाय तथा सम्बन्धित परिवार/सम्पत्ति स्वामी व प्रधान ग्राम सभा व स्थानीय निकाय को भी ऐसी सूची संज्ञान व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

13. बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एकजुटता के साथ निपटा जाए तथा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत शिविरों, चिकित्सा सुविधाओं एवं खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था पूर्व तैयारी के अंतर्गत सुनिश्चित करा ली जाए। आवश्यक राहत सामग्री व राहत शिविरों में प्रयोग होने वाली सामग्री के लिये Pre Tendering करा कर अति आवश्यक सामग्री के लिये क्रय की पूर्व प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सामग्री तत्काल उपलब्ध रहे।

14. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र 24 घंटे खुला रहता है। अतः किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की सूचना तत्काल ई–मेल seoc.dmmc@gmail.com व दूरभाष संख्या–1070, 0135–2710334 तथा फैक्स संख्या–0135–2710335, 2712058 पर उपलब्ध करा दी जाए। सम्बन्धित आपदा प्रबन्धन अधिकारी प्रतिदिन जनपद में घटित आपदाओं की सूचना प्रातः 9.00 बजे एवं सायं 5.00 बजे राज्य आपदा परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। जनपद में आपदा घटित न होने की स्थिति में शून्य सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य में आपदा सूचना के लिये संचालित टॉल फ्री नम्बर–1070 एवं 1077 का भी पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जाये।

15. समस्त जनपदों में मुख्य तौर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपदा से पूर्व तथा आपदा के बाद फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु बनायी गई योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छ पानी के लिये क्लोरीन टैबलेट आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय।

16. जनपद, ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर राहत शिविरों के लिये चिन्हित भवनों की स्थिति का आंकलन कर लिया जाये तथा अतिरिक्त राहत शिविरों की व्यवस्था की जाए।

17. प्राकृतिक आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठन तथा निजी संस्थानों के जनपद में उपलब्ध रोगी वाहन, मोबाइल हैल्थ वाहनों यथा– EMRI 108 का सहयोग लिया जाए।

18. जनपद तथा मण्डल स्तर पर आपदा के दौरान सेना, आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., पी.ए.सी. तथा अन्य पैरामिलिट्री दलों के साथ समन्वय स्थापित किया जाय।

19. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदियों के जल प्रवाह/जलस्तर एवं दैनिक वर्षा से संबन्धित सूचनाएँ आपदा प्रबन्धन विभाग, राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून को नियमित रूप से उपलब्ध करवायी जाए तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा तैयार की जाने वाली दैनिक/नियमित आख्याओं में वर्षा एवं जलप्रवाह संबन्धित सूचनाओं का समावेश अवश्य किया जाए।

20. मौसम विभाग द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थापित आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से मौसम संबन्धित सूचनायें प्रेषित की जानी सुनिश्चित की जाए।

21. टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टी.एच.डी.सी.) व अन्य संबन्धित विभागों द्वारा टिहरी जलाशय एवं जल प्रवाह की स्थिति की सूचना जनपद एवं राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र को नियमित रूप से प्रेषित की जानी सुनिश्चित करते हुए निरन्तर अनुश्रवण एवं सुरक्षा व बचाव हेतु यथा आवश्यक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

22. मानसून अवधि में विषम परिस्थितियों को छोड़कर आपदा कार्य से जुड़े एवं समय–समय पर प्रशिक्षण प्राप्त समस्त विभागों के अतिआवश्यक अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश प्रदान न किया जाए।

23. खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों को आवश्यक उपकरणों सहित आपदा सम्भावित क्षेत्रों के समीप स्थित थानों/चौकियों में तैनात किया जाना सुनिश्चित किया जायें। आपदा उपरान्त किये जाने वाले खोज एवं बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन को सहयोग दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित व उपकरणों से सुसज्जित दलों को मानसून अवधि में संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने की कार्यवाही की जा रही है। तैनाती की स्थिति में इन दलों के आवागमन हेतु जनपद प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जाये एवं उक्त अवधि में इनके आवास हेतु तैनाती स्थल के समीप स्थित सरकारी/सामुदायिक भवनों में व्यवस्था की जाये व इन्हें अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–1501 (1)/ XVIII-(2)/14-13(5)/2007 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी एवं कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. विभागाध्यक्ष, सिंचाई, लो0नि0वि0, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, राज्य मौसम केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, 17, ई.सी. रोड, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, टी.एच.डी.सी., ऋषिकेश।
11. अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. अधिशासी अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून।
13. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
14. अधीक्षण अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, 156, बसन्त बिहार, फेज–1, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
उप सचिव